(2013) 3 एस.सी.आर. 223

विमल कंवर एवं अन्य

बनाम

किशोर दान एवं अन्य

सिविल अपील संख्या 5513/2012

03.05.2013

[जी. एस. सिंघवी व सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.]

मोटर वाहन अधिनियम धारा 166- घातक दुर्घटना- क्षतिपूर्ति गणना- कटौती- अभिनिर्धारित- प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा जो कि उत्तराधिकारी द्वारा आहत की मृत्यु हो जाने पर प्राप्त होने योग्य है, अधिनियम के दायरे में 'आर्थिक परिलाभ' नहीं है जो कि कटौती योग्य है।

धारा 166- घातक दुर्घटना- क्षतिपूर्ति- सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति- 'आर्थिक परिलाभ की कटौती'- निर्धारित- सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति 'आर्थिक परिलाभ' नहीं है- ऐसी नियुक्ति पर कोई राशि जो प्राप्त हुयी वह क्षतिपूर्ति अभिनिर्धारण में कटौती योग्य नहीं है।

धारा 166- घातक दुर्घटना- क्षतिपूर्ति- आयकर की कटौती- यदि वार्षिक आय कर योग्य है, वास्तविक आय की गणना के प्रयोजन से आयकर कटौती किया जाना आवश्यक है तथा यह उपधारणा होगी कि नियोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से आयकर की कटौती कर ली गयी है। अवैतनिक आहत के आय के मामलों के दावेदार को यह साबित करना होगा कि मृतक द्वारा आयकर अदा किया गया है तथा आय से आगे कोई आयकर की कटौती नहीं होनी है।

धारा- 166- घातक दुर्घटना- क्षतिपूर्ति- गुणक- भविष्य आय में बढोतरी- निर्धारित- मृतक के राजकीय सेवक होने एवं मृत्यु के समय साढे 28 साल होने से यदि वह सेवा में निरन्तर रहता तो सेवानिवृति की दिनांक तक उसकी आय दुगुनी हो जाती। अतः अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की भविष्य आय में 100 प्रतिशत बढोतरी की जानी चाहिए- मृत्यु के समय आहत की आयु को देखते हुए 17 का गुणक लागू होगा।

धारा- 166- घातक दुर्घटना- संघ की हानि, सम्पत्ति हानि, प्रेम की हानि के प्रति राशि तथा पुत्री के प्रति स्नेह, प्रेम की हानि तथा विधवा व माता के प्रति स्नेह व अन्तिम संस्कार खर्चा की राशि दिलायी गयी।

घातक दुर्घटना के आहत जो कि राज्य सरकार विभाग में सहायक अभियन्ता था, मृत्यु के समय आयु साढे 28 साल थी के पत्नी, पुत्री तथा

माता के द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका पर अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया कि आरोपित वाहन के उपेक्षापूर्ण व लापरवाहीपूर्वक रीति से संचालन से हुयी दुर्घटना से आहत की मृत्यु हुयी। यद्यपि आहत की आय 8,920/- रूपये थी, अधिकरण द्वारा इसे घटाकर 8,000/- रूपये कर दिया- आगे पी.एफ., पेंशन व बीमा के 1,000/- रूपये और घटाकर वास्तविक आय 7,000/- रूपये की गणना की गयी तथा भविष्य आय में 4,500/- रूपये जोडे गए। अधिकरण द्वारा 15 का गुणक लागू किया गया कि मृतक की पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी, क्षतिपूर्ति राशि 14,93,700/- रूपये निर्धारित की गयी। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 15 का गुणक सही नहीं था, परन्तु क्षतिपूर्ति राशि में दखल देने से इंकार कर दिया।

अपील स्वीकार की गयी और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1. दावेदारों द्वारा प्राप्य भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं; जिन्हें कि कटौती के उत्तरदायी ‘‘आर्थिक लाभ’’ कहा जाए।

हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य (1998) 1 सप्ल. एससीआर 684 = (1999) 1 एससीसी 90 पर निर्भर किया गया।

1.2. ''अनुकम्पा नियुक्ति'' का किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर अधिनियम के तहत प्राप्य राषि से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत आर्थिक परिलाभ नहीं कहा जा सकता उक्त प्राप्य राषि नियुक्ति पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण के प्रयोजन से काटे जाने योग्य नहीं है।

1.3. ''जहाॅ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहाॅ ''वास्तविक वेतन'' शब्द को ''वास्तविक वेतन कम कर'' के रूप में पढा जाना चाहिए। यदि पीडित की आय केवल ''वेतन'' से है, तो यह माना जाएगा कि नियोक्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 (1) के तहत कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर काट लिया जाता है। यदि किसी पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, तो आपत्तिकर्ता को एलपीसी जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होगा कि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटने में विफल रहा है। हालांकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहाॅ पीडित वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है यानि उसकी आय वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से है, और वार्षिक आय कर योग्य सीमा के भीतर आती है, ऐसे मामलों में, यदि किसी पक्ष द्वारा कर कटौती के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है तब दावेदार को यह साबित करना होगा कि पीडित ने पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया है और आय से कोई और कर नहीं काटा जाएगा।

1.4. वर्तमान मामले में, किसी भी प्रतिवादी ने अदालत के ध्यान में यह नहीं लाया कि मृतक सज्जन सिंह द्वारा देय आयकर नियोक्ता राज्य सरकार द्वारा स्रोत पर नहीं काटा गया था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, यह माना जाता है कि मृतक सज्जन सिंह को अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया गया वेतन कानून के अनुसार भुगतान किया गया था यानि उस महीने के लिए मृतक सज्जन सिंह की अनुमानित आय पर आयकर काट लिया था।

1.5. स्वीकृत रूप से मृतक की मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 28 वर्ष साढे सात माह थी। सामान्य तौर पर, उन्होंने कम से कम लगभग 30 वर्षों तक राज्य सरकार की सेवा की होगी। भले ही हम पदोन्नति की भविष्य की सम्भावना पर विचार करें जिसका मृतक अन्यथा हकदार था और वास्तविक वेतन संशोधन 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक का वेतन दोगुना हो गया होगा। यदि वह सेवानिवृति की तिथि तक राज्य की सेवाओं में बने रहेंगे। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की भविष्य की आय में 100 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए थी, जो वे करने में विफल रहे।

महाप्रबंधक, केरल राज्य सडक परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (1994) 2 एससीसी 176; न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

लिमिटेड बनाम गोपाली और अन्य 2012 (6) एससीआर 834 = एआईआर 2012 एससी 3381; के आर मधुसूदन बनाम प्रशासनिक अधिकारी 2011 (2) एससीआर 1061 = 2011 (4) एसीसी 689; सन्तोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 2012 (3) एससीआर 1178 = (2012) 6 एससीसी 421 पर निर्भर किया गया।

1.6. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम मृतक सज्जन सिंह की मासिक आय 9000*2=18000 रूपये प्रति माह होने का अनुमान लगाते हैं। इसमें से उसके निजी जीवन-यापन का खर्च, जो कि तीन आश्रित होने पर, एक तिहाई होना चाहिए, घटाना होगा। इस प्रकार, वास्तविक वेतन रू. 18,000- रू. 6000 =12,000/- रूपये प्रति माह या रू. 12000*12=144000 प्रति वर्ष होगा। चूकि मृत्यु के समय मृतक की आयु साढे 28 वर्ष थी इसलिए 17 का गुणक लगाया जाता है, जो मृतक की आयु के लिए उपयुक्त है। सामान्य मुआवजा 144000*17= 2448000 रूपये होगा, जिसमें हम संघ के नुकसान और सम्पत्ति के नुकसान के लिए सामान्य पंचाट रू. 1,00,000/- पारम्परिक राशि तथा बेटी के लिए प्यार और स्नेह की हानि रू. 2,00,000/-, विधवा और मॉ के लिए प्रेम और स्नेह की हानि रू. 1,00,000/- यानि रू. 2,00,000/- और अन्तिम संस्कार का खर्च रू. 25,000/- जोडकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार, हमारे अनुसार, कुल मिलाकर 29,73,000/- रूपये की राशि इस मामले की परिस्थितियों में एक उचित एवं सही ऋजु पंचाट होगा।

अधिकरण के समक्ष दायर याचिका की तारीख से भुगतान होने तक 12 प्रतिशत की ब्याज दर की अनुमति दी जाती है। अधिकरण द्वारा दिनांक 21 जून, 2003 को पारित पंचाट और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 2011 को उक्तानुसार व उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उपरोक्त प्रेक्षण व निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है। राषि निर्णय में निर्देष किए गए अनुसार जारी की जावे।

सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम व अन्य 2009 (5) एससीआर 1098 = (2009) 6 एससीसी 121 पर निर्भर किया गया।

केस लॉ रेफरेंस: निर्भर किया गया

2009 (5) एससीआर 1098	पैरा 9
1998 (1) सप्ल. एससीआर 68	पैरा 19
1994 (2) एससीआर 176	पैरा 24
2012 (6) एससीआर 834	पैरा 25
2011 (2) एससीआर 1061	पैरा 24
2011 (4) एससीआर 689	पैरा 26
2012 (3) एससीआर 1178	पैरा 27

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 5513/2012

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एकलपीठ के दीवानी विविध अपील संख्या 1831/2003 में द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 29.07.2011 के विरूद्ध अपील।

एस.एल. गुप्ता, आर.एन. पोद्दार, एस.के. राय- प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.

1. वर्तमान अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1831 व 2071 वर्ष 2013 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश दिनांक 29.07.2011 से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर (जिसे आगे अधिकरण कहा जाएगा) के द्वारा पारित क्षतिपूर्ति के आदेश को यथावत रखा गया तथा यह प्रेक्षण लिया गया कि:-

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नम्बर 1831/2013 में सिविल में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 29.07.2011 के विरूद्ध अपील राजस्थान उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर (इसके बाद 'न्यायाधिकार' के रूप में नियुक्त) द्वारा दिए गए बिजनेस को जारी रखा और इस प्रकार देखा:-

13. ऐसी स्थिति में, उपरोक्त विवरण और विश्लेषण के आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि मुआवजे की राशि की गणना के लिए विद्वान

अधिकरण का आधार गलत हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मुआवजे की कुल राशि 14,93,700/- रूपये निर्धारित, मूल्यांकन और प्रदान की गयी है जो सम्यक और न्यायोचित है इसे बढ़ाने या घटाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसलिए, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 21.06.2023 के फैसले की पुष्टि की जाती है और अपीलकर्ताओं और बीमा कम्पनी की अपील खारिज की जाती है।

2. मामले की तथ्यात्मक स्थिति यह है कि 14 सितम्बर, 1996 को श्री सज्जन सिंह शेखावत अपने स्कूटर पर बैठे थे, जो सडक के किनारे पार्क था और एक जूनियर कनिष्ठ अभियन्ता, एन. हरि बाबू और एक अन्य का इंतजार कर रहे थे जिन्हें उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया था। तभी उसी समय गैर आवेदक क्रमांक 1 जीप क्रमांक आरजे 10 सी 0833 का चालक रेल्वे स्टेशन की ओर से तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाता हुआ आया और स्कूटर को टक्कर मार दी। सज्जन सिंह अपने स्कूटर सहित जीप के नीचे आ गए और वाहन के साथ घसीटते हुए चले गए। इस दुर्घटना के कारण उन्हें घातक चोटें आयी और अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उनकी मृत्यु हो गयी। स्कूटर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

3. आहत मृतक की मृत्यु के समय अपीलकर्ता संख्या 1, मृतक की पत्नी की उम्र लगभग 24 वर्ष थी; अपीलकर्ता संख्या 2, बेटी की उम्र लगभग 2 वर्ष थी और अपीलकर्ता नं. 3, मृतक की माँ की आयु लगभग

55 वर्ष थी। उन्होंने संयुक्त रूप से अधिकरण में एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि गैर आवेदक संख्या 1 लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से वाहन का संचालन करने से सज्जन सिंह की मृत्यु हुई और 80,40,160/- रूपये के मुआवजे का दावा किया। अधिकरण के ध्यान में यह लाया गया कि गैर आवेदक संख्या 1, जीप चालक गैर आवेदक संख्या 02 के रोजगार में था एवं गैर आवेदक संख्या 3, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वाहन का बीमाकर्ता था।

4. गैर आवेदक संख्या 3, बीमा कम्पनी ने उपस्थित होकर लिखित बयान दाखिल किया और आरोप लगाया कि वाहन मालिक ने उन्हें दुर्घटना के बारे में सूचित न करके बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, बीमा कम्पनी के अनुसार वाहन मालिक को यह तथ्य साबित करना चाहिए कि दुर्घटना के समय, जीप चालक, गैर आवेदक नम्बर 1 के पास वैद्य और प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था।

5. अधिकरण द्वारा कुल मिलाकर पॉच विवाद्यक बिन्दु विरचित किए गए:

1. क्या प्रश्नगत वाहन जीप क्रमांक आरजे 10 सी 0833 को गैर आवेदक संख्या 1 के चालक द्वारा दिनांक 14.09.1996 को सहायक अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के सामने, पुलिस थाना चूरू के अधिकार क्षेत्र में लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण चलाये जाने के कारण दुर्घटना

हुई फलस्वरूप कारित हुयी चोटों से सज्जन सिंह शेखावत पुत्र भंवर सिंह की मृत्यु हो गयी?

2. क्या दुर्घटना के समय उपरोक्त वाहन चालक गैर आवेदक संख्या 2 के रोजगार में था और उसके लाभ और परिलाभ के लिए काम कर रहा था?

3. क्या गैर आवेदक संख्या 3, बीमा कम्पनी को प्रारम्भिक आपत्तियों और उनके उत्तर में प्रारम्भिक कथन को ध्यान में रखते हुए, उनके दायित्व से मुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो उस पर क्या प्रभाव पडेगा?

4. क्या आवेदक दावा राशि या कोई अन्य उचित राशि पाने का हकदार है और यदि हॉं तो कौन सा आवेदक कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है तथा किस गैर आवेदक से?

5. राहत

6. पहले विवाद्याक का विनिश्चय अधिकरण द्वारा सकारात्मक तरीके से दिया गया थ। यह माना गया कि जीप संख्या आरजे 10 सी 0833 के चालक की लापरवाही और उपेक्षा से दुर्घटना हुयी जिसके परिणामस्वरूप सज्जन सिंह शेखावत की मृत्यु हो गयी। विवाद्यक संख्या 2 और 3 का निर्णय भी आवेदकों के पक्ष में हुआ।

7. विवाद्यक संख्या 4 और 5 दावों के प्रति अपीलकर्ताओं के अधिकार और दी जाने वाली राहत से सम्बन्धित थे। अधिकरण ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में संयुक्त रूप से 14,93,700/- रूप्ये का मुआवजा निर्धारित किया।

8. अधिकरण द्वारा मृतक के वास्तविक वेतन को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा की कुछ रकम काटकर कम कर दिया गया था। बिना किसी कारण के, अधिकरण ने वेतन भी घटाकर रू. 8,000/- प्रति माह हालांकि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (संक्षिप्त एलपीसी के अनुसार) के अनुसार मृतक का वास्तविक वेतन रू. 8,920/- था। ऐसे कम हुए वेतन में से रू. 8,000/- अधिकरण ने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लिए माह 1,000/- रूपये की कटौती की और इस तरह मृतक का वास्तविक वेतन 7,000 /- रूप्ये प्रति माह माना। भविष्य की आय के लिए इसमें 4500/- रूपये जोड दिए गए और इस तरह मृतक की शुद्ध आय 11,500/- प्रति माह (रू. 7,000/- + रू. 4,500/-) आंकी गयी।

9. स्वीकृत रूप से सज्जन सिंह की मृत्यु 28 साल और साढे सात महीने की उम्र में हुयी थी। वह राज्य सरकार की सेवाओं में सहायक अभियन्ता के पद पर तैनात थे। सामान्य तौर पर, वह फरवरी, 2026 तक, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला या फरवरी, 2028 तक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, राज्य सरकार की सेवाओं में बने रहता। सरला वर्मा व

अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम व अन्य (2009) 6 एससीसी 121 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार सज्जन सिंह की मृत्यु 28 वर्ष साढे सात महीने की उम्र में हुयी, मुआवजे की गणना में 17 का गुणक लागू होता है। लेकिन अधिकरण ने 15 के निचले गुणक को इस आधार पर लागू किया कि पत्नी को परिवारिक पेंशन मिलेगी और अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिलेगी और लगभग 2 साल की बेटी की भविष्य में शादी होगी।

10. हालांकि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त गलती पर ध्यान दिया लेकिन मुआवजे को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक पेंशन की कटौती के अलावा मृतक के वेतन से आयकर की एक काल्पनिक कटौती की गयी थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकरण द्वारा पारित पंचाट न्यायसंगत और उचित था जैसा कि निर्णय के मद संख्या 11 से स्पष्ट है जो कि निम्नवत् है:

> "11. यदि वर्ष 1996 में कर की दर के अनुसार गणना करें तो हम पाते हैं कि निर्धारण वर्ष 1996-97 में 40,000/- रूपये पर कोई कर देय नहीं था। 20,000/- रूपये की अतिरिक्त आय पर, 20 प्रतिशत देय था, 60,000/- रूपये की आगे की आय पर, आय का 30 प्रतिशत लगाया जाता था। वेतन का 1/3 या रू. 15,000/- की कटौती करें और

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत रू.12,000/- की छूट लागू करने पर, जो राशि बचती है, उस पर रू. 5812/- कर के रूप में देय है। इस प्रकार, आय में से कर योग्य राशि घटाकर रू. 1,01,228/- होगी। अपीलकर्ता विमल कंवर ने स्वयं कहा है कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पेंशन के रूप में 1460/- रूपये प्रति माह मिलते हैं। पति की मृत्यु पर मिलने वाली पेंशन से भी कटौती की जाए। इस प्रकार वार्षिक पेंशन 17,520/- रूपये घटाने पर आय 1,83,708/- रूपये प्रति वर्ष होती है। सरला वर्मा के फैसले के अनुसार भविष्य की सम्भावनाओं के लिए 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए राशि 1,25,562/- रूपये प्रति वर्ष हो जाती है, इसमें से मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 की कटौती करने और मृतक की उम्र के अनुसार 17 का गुणक लगाने पर यह राशि मिलती है 14,23,036/- रूपये मृतक के आय से वंचित होने के कारण अधिकरण ने मृतक को 14,78,700/- रूपये दिए हैं।"

11. उच्च न्यायालय ने देखा कि अधिकरण ने 15 के गुणक को गलत तरीके से लागू किया, लेकिन निम्नलिखित आधारों पर पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

"12. यह सही है कि संशोधित एलपीसी रिकॉर्ड में होने और वेतन 8920/- रूपये दिखाने के बावजूद अधिकरण ने जीपीएफ और राज्य बीमा 1000/- के कारण वेतन 8000/- रूपये ही स्वीकार किया है; की कटौती की गयी है तथा मासिक आय 7,000/- रूपये आंकी गयी है। इसके बाद भविष्य में बढती आय आदि को ध्यान में रखते हुए इसमें 4500/- रूप्ये जोड दिए गए हैं और मासिक आय 11500/- रूपये आंकी गयी है। यह आकलन रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य और स्थापित कानून के अनुसार उचित प्रतीत होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए अधिकरण ने यूनिट पद्धति को आधार बनाया है, लेकिन ऐसा करते समय मृतक ने अपने व्यक्तिगत खर्चों पर जो राशि खर्च की होगी, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कटौती योग्य हैं सरला वर्मा मामले एवं अन्य मामलों में कटौती नहीं की गयी है, जिसके कारण निर्भरता का सही आकलन नहीं हो पाया है। इसके बाद अधिकरण द्वारा लागू किया गया 15 गुणक का भी कानून के अनुरूप नहीं दिखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त तरीके से राशि का आकलन करते हुए अधिकरण ने श्रीमती को देय आयकर और प्राप्त पेंशन

की राशि में कटौती नहीं की थी। इसी प्रकार पत्नी को जीपीएफ एवं राज्य बीमा हेतु निर्भरता कटौती का निर्धारण करते समय मासिक आय में 4500/- रूपये की वृद्धि एवं 15 का गुणक आदि लगाना विधि सम्मत नहीं है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के समय मृतक की आय 8,920/- रूपये मानते हुए, देय आयकर और मृतक की पत्नी को प्राप्त पेंशन की राशि को घटाकर, आय की हानि के कारण प्राप्त होने वाली राशि होगी। अपीलकर्ता को दिया गया रू. 14,23,036/- बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण ने आय की हानि के लि हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य (1999) 1 एससीसी 90ए 14,78,700/- रूपये और शेष सभी मदों के लिए कुल 15,000/- रूपये ही दिए हैं, जो निश्चित रूप से बहुत कम है। तीनों अपीलकर्ताओं को मृतक से सहयोग, प्यार और स्नेह की हानि और सेवा, सुरक्षा, अन्तिम संस्कार खर्चे, सम्पत्ति की हानि के तहत उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और ऐसा करने पर जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि कुल राशि रू. अधिकरण द्वारा 14,93,700/- का मुआवजा दिया

जाना उचित है और इसलिए, दिए गए मुआवजे की राशि में कोई भी हस्तक्षेप उचित वांछनीय या आवश्यक नहीं है।"

12. दो अपीलों, एक अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा और दूसरी बीमा कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई, 2011 के एक आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दी गयी।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, अपीलकर्ताओं की व्यथा संक्षेप में निम्नानुसार है:

(1) मुआवजे की गणना के लिए पीडित के वास्तविक वेतन से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा राशि की कोई राशि नहीं काटी जा सकती।

(2) किसी भी साक्ष्य के अभाव में, न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए पीडित के वास्तविक वेतन से आयकर की कोई राशि नहीं काट सकता है।

(3) वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिकरण और उच्च न्यायालय को भविष्य की सम्भावनओं के लिए 100 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति देकर वेतन दोगुना करना चाहिए था और

(4) अधिकरण और उच्च न्यायालय ऋजु व न्यायसंगत मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहे।

14. प्रत्यर्थी उपस्थित हुए हैं लेकिन उनके द्वारा जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने केवल अधिकरण

द्वारा पारित फैसले को उचित ठहराया जिसकी कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गयी।

15. मामले में विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:

(1) क्या दावेदारों द्वारा प्राप्य भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में आते हैं, जिन्हें कटौती के लिए ‘‘आर्थिक लाभ’’ कहा जाएगा?

(2) क्या अनुकम्पा नियुक्ति पर दावेदार द्वार प्राप्त किए जाने वाला वेतन मोटर वाहन अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आता है, जिसे कटौती के लिए ‘‘आर्थिक लाभ’’ कहा जाएगा।

(3) क्या मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए आयकर काटा जा सकता है।

(4) क्या अपीलकर्ताओं को दिया गया मुआवजा उचित और उचित है।

16. उपरोक्त बिन्दुओं के निर्धारण के लिए, निम्न- उल्लिखित प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

17. श्रीमती, विमल कंवर, पीडब्ल्यू 3 (यहॉ अपीलकर्ता संख्या 1), जो मृतक की पत्नी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसके पति ने प्रथम श्रेणी में जोधपुर विश्विद्यालय से बीई की डिग्री प्राप्त की थी और उन्हें वर्ष 1994 में सीधे सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। दुर्घटना के

समय उनकी उम्र 28 वर्ष थ हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य (1999) 1 एससीसी 90 और उन्हें 9,000/- रूपये प्रति माह वेतन मिलता था। यदि वे जीवित होते तो उन्हें मुख्य अभियन्ता के पद तक पदोन्नत किया गया होता।

18. राम अवतार पारीक, पीडब्ल्यू 2 लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी है, जहाॅ मृतक कार्य करता था। उन्होंने बताया कि सज्जन सिंह सहायक अभियन्ता के पद पर कार्य''जहाॅ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहाॅ ''वास्तविक वेतन'' शब्द को ''वास्तविक वेतन कम कर'' के रूप में पढा जाना चाहिए।रत थे और उस समय उनका मासिक वेतन 8920 रूपये था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने मृतक का अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की।

19. पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि दावेदारों द्वारा प्राप्य भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में आत हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य (1999) 1 एससीसी 90 हैं; जिन्हें कटौती के उत्तरदायी ''आर्थिक लाभ'' कहा जाएगा? उपरोक्त मुद्दा हेलेन सी. रेबेलो (श्रीमती) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम और अन्य (1999) 1 एससीसी 90 में रिपोर्ट किया गया। मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने माना कि भविष्य निधि,

पेंशन, बीमा और इसी तरह कोई भी नकदी, बैंक शेष, शेयर, सावधि जमा, आदि सभी उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्य एक ‘‘आर्थिक लाभ’’ है। लेकिन इन सबका किसी कानून के तहत केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण प्राप्त होने वाली राशि से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में नहीं आएगी जिसे कटौती के लिए ‘‘आर्थिक लाभ’’ कहा जाएगा। इस न्यायालय का अवलोकन और निष्कर्ष निम्नलिखित था:

> “35. मोटे तौर पर, हम भविष्य निधि की प्राप्ति की जॉच कर सकते है जो किसी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान किए गए योगदान में से एक आस्थगित भुगतान है। ऐसे कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी आकस्मिक मृत्यु के बावजूद यह राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यह राशि सुरक्षित है, प्राप्त होना निश्चित है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राशि अनिश्चित है और केवल घटना, यानि दुर्घटना होने पर ही प्राप्त की जा सकती है, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन भी एक कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के लाभ के लिए उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त सेवा शर्तों के अनुसार सेवा में उसके योगदान के रूप में अर्जित की जाती है। आकस्मिक मृत्यु के अलावा भी उत्तराधिकारियों को पारिवारिक पेंशन मिलती है। दोनों के बीच कोई सम्बन्ध

नहीं, इसी प्रकार, जीवन बीमा पॉलिसी या तो बीमाधारक को या बीमाकर्ता के उत्तराधिकारियों को बीमाकर्ता के साथ अनुबन्ध के कारण प्राप्त होती है, जिसके लिए बीमाधारक प्रीमियिम के रूप में योगदान देता है। यह बीमाधारक द्वारा भी प्राप्य है यदि वह सभी प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद परिपक्वता तक जीवित रहता है। मृत्यु के मामले में, बीमाकर्ता भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार, वारिसों को राशि का भुगतान करने की क्षतिपूर्ति करता है। पुनः यह राशि दावेदार को किसी आकस्मिक मृत्यु के कारण नहीं बल्कि अन्यथा बीमाधारक की मृत्यु पर प्राप्त होती है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु केवल एकदम आकस्मिकता है। इसी प्रकार कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि हालांकि किसी की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला एक आर्थिक लाभ है, लेकिन इन सभी का केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाली कानून के तहत प्राप्य राशि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में कैसे आ सकती है जिसे कटौती के लिए ‘‘आर्थिक लाभ’’ कहा जा सकता है। जब हम हानि और लाभ के सिद्धान्त की तलाश

करते हैं, तो यह एक समान और एक ''जहॉ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहॉ ''वास्तविक वेतन'' शब्द को ''वास्तविक वेतन कम कर'' के रूप में पढा जाना चाहिए।ही स्तर पर होना चाहिए, जिसमें उनके बीच सम्बन्ध हो, औ ऐसा न हो कि किसी भी सम्बन्ध को कोई आभास न हो। बीमित व्यक्ति (मृतक) अपने स्वयं के पैसे का योगदान करता है जिसकेे उसे वह राशि मिलती है जिसका दुर्घटना के कारण उसकी लापरवाही के लिए दोषी के खिलाफ गणना किए गए मुआवजे से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि उपर कहा गया है, अधिनियम के तहत मुआवजे के रूप में प्राप्य राशि चोट या मृत्यु के कारण बिना किसी योगदान के है, तो बीमाधारक के योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि का फल मोटर के तहत प्राप्य राशि से कैसे काटा जा सकता है? वाहन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत यह राशि उसे बिना किसी अंशदान के प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कहा है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजा वैधानिक है जाबकि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्य राशि संविदात्मक है।"

20. दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि ''क्या अनुकम्पा नियुक्ति पर दावेदार द्वारा प्राप्त किए जाने वाला वेतन मोटर वाहन अधिनियम की परिधि

में आता है जिसे कटौती के लिए उत्तरदायी ''आर्थिक लाभ'' कहा जाएगा।'' ''अनुकम्पा नियुक्ति'' किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों में से एक हो सकती है, यदि नियोक्ता द्वारा इस आशय की कोई योजना बनायी गयी हो। यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है अर्थात् सेवा के दौरान अपने आश्रितों को छोडकर, तो आश्रितों में से एक मृतक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार के भरण-पोषण के के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकता है। इसे किसी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ नहीं कहा जा सकता है और आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी कानून के तहत प्राप्त होने वाली राशि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुकम्पा नियुक्ति का किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु से सम्बन्ध हो सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसका सम्बन्ध आकस्मिक मृत्यु से हो। एक कर्मचारी की सामान्य स्थिति में भी, बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और मृतक के परिवार का भरण-पोषण करने के लिए आश्रितों में से एक अनुकम्पा नियुक्ति का हकदार हो सकता है, लेकिन इसे ''आर्थिक लाभ'' नहीं कहा जा सकता है जो मोटर वाहन अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आता है। और ऐसी नियुक्ति पर प्राप्त कोई भी राशि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

21. तीसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि ''क्या मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए आयकर काटा जा सकता है?''

सरला वर्मा और अन्य (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि "आमतौर पर मृतक की वास्तविक आय मुआवजे की गणना के लिए कम आयकर प्रारम्भिक बिन्दु होना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे कहा कि "जहाॅ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहाॅ "वास्तविक वेतन" शब्द को "वास्तविक वेतन कम कर" के रूप में पढा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि वार्षिक आय कर योग्य सीमा के भीतर आती है तो वास्तविक वेतन के निर्धारण के लिए आयकर में कटौती करना आवश्यक है। लेकिन वेतन से आयकर काटते समय पीडित की आय की प्रकृति पर ध्यान देना जरूरी है। यदि पीडित को "वेतन" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय प्राप्त हो रही है, तो उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 (1) के तहत, कोई भी व्यक्ति "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रभार्य किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। भुगतान के समय, उस वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी के "वेतन" से अनुमानित आय पर आयकर काट लें। ऐसी कटौती को आमतौर पर स्रोत पर कटौती (संक्षेप में 'टीडीएस') के रूप में जाना जाता है। जब नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटने में विफल रहता है, क्योंकि टीडीएस काटना उसकता कर्तव्य है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1ए) के तहत टीडीएस काटने पर जुर्माना निर्धारित है।

इसलिए, यदि पीडित की आय केवल "वेतन" से है, तो यह माना जाएगा कि नियोक्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 (1) के

तहत कर्मचारी के वेतन से स्रोत पर काट लिया जाता है। यदि किसी पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, तो आपत्तिकर्ता को एलपीसी जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करके यह साबित करना होगा कि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से टीडीएस काटने में विफल रहा है।

हालांकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहॉ पीडित वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है यानि उसकी आय वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से है, और वार्षिक आय कर योग्य सीमा के भीतर आती है, ऐसे मामलों में, यदि किसी पक्ष द्वारा कर कटौती के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की जाती है तब दावेदार को यह साबित करना होगा कि पीडित ने पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया है और आय से कोई और कर नहीं काटा जाएगा।

22. वर्तमान मामले में, किसी भी प्रतिवादी ने अदालत के ध्यान में यह नहीं लाया कि मृतक सज्जन सिंह द्वारा देय आयकर नियोक्ता राज्य सरकार द्वारा स्रोत पर नहीं काटा गया था। राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, पीडब्ल्यू 2 रामअवतार पारीक, जिन्होंने मृतक का अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र और सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में रखी थी, द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। अधिकरण या उच्च न्यायालय ने अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अवलोकन पर यह ध्यान नहीं दिया कि कर्मचारी की अनुमति आय पर आयकर उक्त माह या वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी के वेतन से नहीं काटा गया था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, यह माना जाता है

कि मृतक सज्जन सिंह को अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया गया वेतन कानून के अनुसार भुगतान किया गया था यानि उस महीने के लिए मृतक सज्जन सिंह की अनुमानित आय पर आयकर काट लिया था। वित्तीय वर्ष अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा है कि वर्तमान मामले में लागू मूल्यांकन वर्ष 1997-98 है, न कि 1996-97, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था। उन्होंने यह भी विशेष दलील दी है कि आकलन वर्ष 1997-98 के लिए 40,000/- रूपये से अधिक और 60,000/- रूपये तक की आय पर कर की दर 15 प्रतिशत थी न कि 20 प्रतिशत जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था। उपरोक्त तथ्य पर उत्तरदाताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

23. पूर्व में दिए गए निष्कर्ष के प्रकाश में तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि विचार किया गया है, के मद्देनजर, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने गणना के लिए मृतक के वेतन से आयकर के लिए 20 प्रतिशत की कटौती करना गलत था। मुआवजा, कानून के अनुसार, धारणा यह होगी कि नियोक्ता-राज्य सरकार ने वेतन के भुगतान के समय मृतक कर्मचारी की अनुमानित आय पर वेतन से आयकर काट लिया और किसी भी साक्ष्य के अभाव में, हम मानते हैं कि वेतन जैसा कि दिखाया गया है अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र रू. 8,920/- स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे पूर्णांकित करने पर आश्रित(ओं) को देय मुआवजे की गणना के लिए रू. 9,000/- आता है।

24. चौथा विचारणीय प्रश्न यह है कि "क्या अपीलकर्ताओं को दिया गया मुआवजा ऋजु व न्यायसंगत है।"

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए, भविष्य की आजीविका में उन्नति की सम्भावनाओं और वेतन में संशोधन के लिए आय में वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित करना आवश्यक है। महाप्रबंधक, केरल राज्य सडक परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्मा थॉमस (1944) 2 एससीसी 176 मामले में इस न्यायालय ने जीवन और करियर में उन्नति की भविष्य की सम्भावनाओं के निर्धारण के लिए मृतक की उम्र और आय पर ध्यान दिया। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

> "19. वर्तमान मामले में मृतक की उम्र 49 वर्ष थी। उनकी आय 1032 रूपये प्रति माह थी। निःसन्देह, जीवन और करियर में उन्नति की भविष्य की सम्भावनाओं को गुणनफल बढाने के लिए धन के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। जबकि गुणक की सम्भावना दो कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात् स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज दर और मृतक या दावेदार की आयु, जो भी अधिक को, गुणक का पता लगाना अधिक कठिन कार्य है। दरअसल, भविष्य की आकस्मिकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कई कारकों को तराजू में रखना होगा। भविष्य की

सभी आकस्मिकताओं का अनिवार्य रूप से हानिकारक होना आवश्यक नहीं है। इस मामले में मृतक व्यक्ति के पास कमोबेश स्थिर नौकरी थी। भविष्य की सम्भावनाओं के बारे में यथोचित उदार दृष्टिकोण रखना अनुचित नहीं होगा और सकल आय का अनुमान लगाते समय 1032 रूपये प्रति माह की वर्तमान वास्तविक आय पर निर्भरता के नुकसान का अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा। हमें लगता है कि, भविष्य के करियर में उन्नति की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसके सम्बन्ध में रिकॉर्ड पर सबूत हैं, हम सकल आय के रूप में 2000 रूपये की मासिक आय का उच्च अनुमान लगाने में गलती नहीं करेंगे।"

25. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में वी. गोपाल और अन्य, एफआईआर 2012 एससी 3381 में इस न्यायालय ने देखा कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आय 100 प्रतिशत वृद्धि देकर मुआवजा निर्धारित किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य स्थिति में, मृतक ने 22 वर्षों तक सेवा की होगी और उस अवधि के दौरान उसका वेतन निश्चित रूप से दोगुना हो गया होगा, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

26. के आर मधुसूदन बनाम प्रशासनिक अधिकारी (2011) 4 एसीसी में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया कि अंगूठे के नियम से विचलन हो सकता है और माना कि:-

> "10. वर्तमान मामला अलग-अलग तथ्यात्मक आधार पर अविलम्बित है, जहाॅ रिकॉर्ड पर स्पष्ट और निर्विवाद साक्ष्य हैं कि मृतक हकदार था और वास्तव में भविष्य में आय में वृद्धि पाने के लिए योग्य था, एक तथ्य जिसकी रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गयी थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि वर्तमान मामला "असाधारण परिस्थितियों" के अन्तर्गत आता है, न कि सरला वर्मा निर्णय द्वारा निर्धारित नियम के दायरे में। इसलिए, भले ही मृतक की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो, वह भविष्य की सम्भावनाओं के कारण आय में वृद्धि का हकदार होगा।"

27. हाल ही में सन्तोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में, (2012) 6 एससीसी 421 में रिपोर्ट की गयी इस अदालत को सरला वर्मा के मामले में फैसले के पैराग्राफ 24 में की गयी प्रेक्षण के लिए कोई आधार ढूंढना मुश्किल हो गया और इस प्रकार निर्धारित किया कि:

> "14. हम सरला वर्मा मामले में निर्णय के पैरा 24 में किए गए प्रेक्षण के लिए किसी भी तर्क को समझना बेहद

मुश्किल लगता है जहाँ मृतक स्व-रोजगार था या वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर था, अदालतें आमतौर पर ऐसा करेंगी। मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लें और इस नियम से हटना केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, यह कहना नादानी होगी कि ऐसे व्यक्ति का वेतन या कुल परिलब्धियाँ/आय जो स्व-रोजगार है या जो वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर कार्यरत है, जीवन भर एक समान रहेगी।

15. जीवन-यापन की लागत में वृद्धि का प्रभाव सभी पर पड़ता है। यह अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं करता। वास्तव में, कीमतों में वृद्धि का प्रभाव, जो सीधे तौर पर जीवनयापन की लागत को प्रभावित करता है, अमीरों पर न्यूनतम और उन लोगों पर अधिकतम होता है जो स्व-रोजगार हैं या जो निश्चित आय/परिलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। वे सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। इसलिए, वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आवश्यक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं।18. इसलिए, हमें नहीं लगता कि सरला वर्मा के मामले के मद संख्या 24 की

> अन्तिम तीन पंक्तियों में प्रेक्षण करते समय, न्यायालय ने एक पूर्ण नियम बनाने का विचार किया था कि किसी व्यक्ति स्व-रोजगार या जिसे निश्चित वेतन दिया जाता है, की आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। बल्कि, यह कहना उचित होगा कि एक व्यक्ति जो स्व-रोजगार है या निश्चित वेतन पर लगा हुआ है, उसकी भी एक निश्चित अवधि में कुल आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यदि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मुआवजे की राशि की गणना के लिए भी यही फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए।"

28. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने मृतक की आय में 100 प्रतिशत वृद्धि देकर मुआवजा निर्धारित किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य स्थिति में, मृतक ने 22 वर्षों तक सेवा की होगी और उस अवधि के दौरान उसका वेतन निश्चित रूप से दोगुना हो गया होगा, निम्नलिखित टिप्पणी के साथ उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया:

> "20. हमारा यह भी विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की आय में 100 प्रतिशत वृद्धि देकर मुआवजे की राशि निर्धारित करना उचित था। सामान्य तौर पर, मृतक ने 22 वर्षों तक सेवा की होगी और उस अवधि के दौरान

उसका वेतन निश्चित रूप से दोगुना हो गया होगा क्योंकि नियोक्ता प्रति वर्ष बोनस के रूप में उसके वेतन का 20 प्रतिशत भुगतान कर रहा था।"

29. स्वीकृत रूप से मृतक सज्जन सिंह की जन्मतिथि 1 फरवरी, 1968 है; यह दलील कि यदि सेवानिवृति के आयु 58 वर्ष है, तो 1 फरवरी, 2026 तक या 1 फरवरी, 2028, यदि 60 वर्ष, है, सेवानिवृति की आयु है, तक सेवा में बने रहेंगे, स्वीकार किया जाता है। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 28 वर्ष साढे सात माह थी। सामान्य तौर पर, उन्होंने कम से कम लगभग 30 वर्षों तक राज्य सरकार की सेवा की होगी। भले ही हम पदोन्नति की भविष्य की सम्भावना पर विचार करें जिसका मृतक अन्यथा हकदार था और वास्तविक वेतन संशोधन 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हुए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतक का वेतन दोगुना हो गया होगा। यदि वह सेवानिवृति की तिथि तक राज्य की सेवाओं में बने रहेंगे। इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला था जिसमें अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की भविष्य की आय में 100 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए थी, जो वे करने में विफल रहे।

30. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम मृतक सज्जन सिंह की मासिक आय 9000 × 2 = 18,000 रूपये प्रति माह होने का अनुमान लगाते हैं। इसमें से उसके निजी जीवन-यापन का

खर्च, जो कि तीन आश्रित होने पर, एक तिहाई होना चाहिए, घटाना होगा। इस प्रकार, वास्तविक वेतन रू. 18,000- रू. 6000 =12,000/- रूपये प्रति माह या रू. 12,000 × 12 = 1,44,000 रू. प्रति वर्ष होगा। चूॅकि मृत्यु के समय मृतक की आयु साढे 28 वर्ष थी इसलिए 17 का गुणक लगाया जाता है, जो मृतक की आयु के लिए उपयुक्त है। सामान्य मुआवजा 1,44,000 × 17 = 24,48,000 रूपये होगा, जिसमें हम संघ के नुकसान और सम्पत्ति के नुकसान के लिए सामान्य पंचाट रू. 1,00,000/- पारम्परिक राशि तथा बेटी के लिए प्यार और स्नेह की हानि रू. 2,00,000/-, विधवा और माॅ के लिए प्रेम और स्नेह की हानि रू. 1,00,000/- यानि रू. 2,00,000/- और अन्तिम संस्कार का खर्च रू. 25,000/- जोडकर प्रदान करते हैं।

31. इस प्रकार, हमारे अनुसार, कुल मिलाकर 29,73,000/- रूपये की राशि इस मामले की परिस्थितियों में एक उचित एवं सही ऋजु पंचाट होगा।

32. अधिकरण के समक्ष दायर याचिका की तारीख से भुगतान होने तक 12 प्रतिशत की ब्याज दर की अनुमति दी जाती है।

33. प्रत्यर्थी संख्या 3 को तीन महीने के भीतर ब्याज घटाकर राशि (यदि पहले ही भुगतान किया गया हो) सहित कुल पंचाट का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2 मृतक की बेटी, जो

दुर्घटना के समय लगभग 2 वर्ष की थी, पहले ही वयस्क हो चुकी है; उसकी शिक्षा और विवाह के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है। इन परिस्थितियों में, हम प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलकर्ता नम्बर 1 पत्नी के खाते में देय राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देते हैं। देय राशि के शेष 75 प्रतिशत में से, 35 प्रतिशत राशि को बेटी अपीलकर्ता संख्या 2 के नाम पर एक वर्ष के अवधि के लिए सावधि जमा द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किया जाना चाहिए। देय राशि के शेष 40 प्रतिशत में से प्रत्येक को अपीलकर्ता नम्बर 1 और 3, पत्नी और माँ के नाम पर एक वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश किया जाना चाहिए।

34. अधिकरण द्वारा दिनांक 21 जून, 2003 को पारित पंचाट और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29 जुलाई, 2011 को उक्तानुसार व उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। उपरोक्त प्रेक्षण व निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है। लागत के सम्बन्ध में कोई अलग आदेश नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनक्षी तिवारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।